Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 4, 2014
(PHALGUNA 13, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th March, 2014

No. 22—HLA of 2014/23.—The Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 22—HLA of 2014

THE HARYANA STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 2014.

A

BILL

further to amend the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2014. Short title.

Amendment of section 3 of Haryana Act 41 of 1974.

2. In sub-section (1) of section 3 of the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974,–

(i) in clause (m), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and

(ii) after clause (m), the following clause shall be added, namely :–

"(n) Political Advisor to Chief Minister, Haryana.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, provides certain offices of profit not to disqualify the holder thereof for being elected as, or for being a member of the Legislature of State of Haryana. The office of Political Advisor to Chief Minister, Haryana is not included in any clause/ sub-section of Section 3 thereof. Now, the Government has decided to include the post of Political Advisor to Chief Minister, Haryana in the said Section 3 of Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974. In order to include the office of Political Advisor to Chief Minister, Haryana in the clause/sub-section of Section 3 of said Act, this Bill is to be present in the Vidhan Sabha Session.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 4th March, 2014.

SUMIT KUMAR.
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

Section 3 of the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, provides certain offices of profit not to disqualify the holder thereof for being elected as, or for being a member of the Legislature of State of Haryana. The office of Political Advisor to Chief Minister, Haryana is not included in any clause/ sub-section of Section 3 thereof. Now the Government has decided to include the post of Political Advisor to Chief Minister, Haryana in the said Section 3 of Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974.

As provision has been made to include the post of Political Advisor to Chief Minister, Haryana in the said Act, approximately annual expenditure of Rs. 12,00,000/- (Rupees Twelve Lakh only) will be met out from the State Exchequer.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 22 - एच०एल०ए०

हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2014

हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

1974 का हरियाणा अधिनियम 41 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उप–धारा (1) में,–

(i) खण्ड (ङ) में, अन्त में विद्यमान "। " चिह्न के स्थान पर, "; " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) खण्ड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्
"(ढ) मुख्य मन्त्री, हरियाणा का राजनैतिक सलाहकार।"।

उद्देश्यों व कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य विधान मण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 में लाभ वाले कुछ पदों का उपबन्ध है जिनका पदधारी हरियाणा राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य होने के कारण अयोग्य नहीं होगा। मुख्य मन्त्री, हरियाणा के राजनैतिक सलाहकार का कार्यालय उक्त अधिनियम की धारा 3 में सम्मिलित नहीं है। अब, हरियाणा सरकार ने मुख्य मन्त्री, हरियाणा के राजनैतिक सलाहकार का पद हरियाणा राज्य विधान मण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। अत: मुख्य मन्त्री, हरियाणा के राजनैतिक सलाहकार के पद को हरियाणा राज्य विधान मण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 में शामिल करने के लिये यह विधेयक हरियाणा विधान सभा के सत्र में प्रस्तुत किया जाना है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : सुमित कुमार,
दिनांक 4 मार्च, 2014. सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा राज्य विधान मण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 में लाभ वाले कुछ पदों का उपबन्ध है जिनका पदधारी हरियाणा राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य होने के कारण अयोग्य नहीं होगा। मुख्य मन्त्री, हरियाणा के राजनैतिक सलाहकार का कार्यालय उक्त अधिनियम की धारा 3 में सम्मिलित नहीं है। अब, हरियाणा सरकार ने मुख्य मन्त्री, हरियाणा के राजनैतिक सलाहकार का पद हरियाणा राज्य विधान मण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।

उपरोक्त प्रावधान अनुसार मुख्य मन्त्री, हरियाणा के राजनैतिक सलाहकार के पद को हरियाणा उपर्युक्त अधिनियम में शामिल करने पर राजकीय कोष पर लगभग 12,00,000/- रुपये (बारह लाख रुपये) वार्षिक खर्च का वहन करना होगा।

52105—H.V.S.—H.G.P., Chd.